

प्रेषक,

संजय कुमार,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (DDO), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।  
प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार ।  
प्राचार्य, सभी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, बिहार  
अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार ।  
निदेशक, आई०जी०आई०एम०एस० / निदेशक, आई०जी०आई०सी० /  
निदेशक, एस०आई०एच०एफ०डब्ल्यू०, शेखपुरा, पटना ।  
निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना / राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना  
निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना ।  
निदेशक, राजेन्द्रनगर अस्पताल, पटना  
निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग, पटना ।  
निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना ।  
निदेशक आयुर्वेद (DDO) आयुष निदेशालय, बिहार, पटना  
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ।  
सभी सिविल सर्जन, बिहार।  
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।  
अधीक्षक, सभी सदर एवं अनुमंडलीय अस्पताल।  
उपाधीक्षक, सभी अनुमंडलीय अस्पताल।  
उपाधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्थानीय औषधालय।  
सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी / जिला मलेरिया पदाधिकारी।  
सहायक निदेशक फायलेरिया, बिहार, पटना।  
अपर निदेशक-सह-नियंत्री पदाधिकारी, मलेरिया / कुष्ठ एवं यक्ष्मा।  
सभी जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी।  
निदेशक, टी०बी०डी०सी०, पटना / दरभंगा।  
सभी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, बिहार।  
अधीक्षक, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल, बेतिया।  
अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया ।  
अधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया।  
अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी ।  
अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, पटना / गया।  
अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना  
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्रा०स्वा०केन्द्र / सभी रेफरल अस्पताल।  
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, विधायक अस्पताल, पटना।  
संयुक्त खाद्य नियंत्रक, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 17-01-2019

विषय:-CFMS के Office Admin के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्रांक-120(7) दिनांक-28.12.18 एवं 122(7) दिनांक-11.01.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक विभागीय पत्रों के अलोक में कहना है कि अबतक औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यमों से बार-बार निदेश दिये जाने के बावजूद शतप्रतिशत अनुपालन संभव नहीं हो सका है। यह अत्यंत ही खेद का विषय है। जबकि उक्त कार्य की संपादन की अंतिम तिथि दिनांक-18.01.19 तक ही निर्धारित है।

2. आप सभी से अनुरोध है कि **CFMS Office Creation Form** एवं **CFMS KYU Form** पूर्ण एवं सही प्रविष्टि के साथ विभागीय ई-मेल [health-bih@nic.in](mailto:health-bih@nic.in) पर आज दिनांक-17.01.19 को अपराह्न 3.00 बजे तक निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करें ताकि विभाग को एवं आपके तथा आपके अधीनस्त कार्यालय/संस्थान को किसी प्रकार की असहज स्थिति का सामना न करना पड़े ।

विश्वासभाजन,

  
(संजय कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 123(7)

पटना, दिनांक- 17-01-2019

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर सह सदस्य, सी0एफ0एम0एस0 / पी0एफ0एम0एस0 / जेम-पोटल कोषांग, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारियों (सी0एफ0एम0एस0 / पी0एफ0एम0एस0 / जेम-पोटल कोषांग ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।



सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 123(7)

पटना, दिनांक- 17-01-2019

प्रतिलिपि- प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषण निर्माणशाला, पटना / प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, पटना / प्राचार्य, राजकीय होमियोपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर / सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार / उपाधीक्षक, दस शय्यायुक्त होमियोपैथी अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ । निदेशित है कि उपयुक्त प्रतिवेदन 16 जनवरी, 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।



सरकार के प्रधान सचिव ।